

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मार्च, 2012

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/एम०जी०एच०-1/ए०सी०ए०1/2012/730.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य हैं;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र: महेन्द्रगढ़ की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (एम०जी०) 127/2010, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर :** बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव सिसोथ (हदबस्त संख्या 61) की आयत संख्या 26 का उत्तर-पश्चिम कोना है, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव सिसोथ (हदबस्त संख्या 61) की आयत संख्या 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 तथा गांव माजरा कला (हदबस्त संख्या 60) की आयत संख्या 33, 34 तथा 35 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जहां यह दुहन नदी के पश्चिमी किनारे से मिलती है।
- पूर्व :** तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर दुहन नदी के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव माजरा खुर्द (हदबस्त संख्या 63) की आयत संख्या 37 का दक्षिण-पूर्व कोना है।
- दक्षिण :** तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एम०सी०ए०-2/2001/61, दिनांक 11 जनवरी, 2001 द्वारा पहले से घोषित अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, जो कि गांव रिवासा (हदबस्त संख्या 62) की आयत संख्या 3 का दक्षिण-पूर्व कोना है।
- पश्चिम :** तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर गांव रिवासा (हदबस्त संख्या 62) की आयत संख्या 3 तथा गांव सिसोथ (हदबस्त संख्या 61) की आयत संख्या 71, 68, 50, 47, 29 तथा 26 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भ का बिन्दु है।

एस० एस० ढिल्लों,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 9th March, 2012]

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 9th March, 2012

No. CCP(NCR)/MGH/ACA-I/2012/730.—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

SCHEDULE

Schedule of boundaries of additional controlled area-I, Mahendergarh to be read with the Drawing No. D.T.P. (MG)-127/2010, dated the 10th September, 2010.

- North :** Starting from Point 'A' *i.e.* north-west corner of rectangle number 26 of village Sisoith (Hadbast number 61), thence moving towards east along the northern boundaries of rectangle number 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 and 19 of village Sisoith (Hadbast number 61) and rectangle number 33, 34 and 35 of village Majra Kalan (Hadbast number 60) upto point 'B', where it meets the western bank of Dohan River.
- East:** Thence moving from point 'B' towards south along the western bank of Dohan River upto point 'C' *i.e.* south-east corner of rectangle number 37 of village Majra Khurd (Hadbast number 63).
- South:** Thence moving from point 'C' towards west along the already declared additional controlled area boundary published in Haryana Government Gazette *vide* notification No. MCA-2/2001/61, dated 11th January, 2001 upto point 'D' *i.e.* south-west corner of rectangle number 3 of village Rewasa (Hadbast number 62).
- West:** Thence moving from 'D' towards north along the western boundaries of rectangle number 3 of village Rewasa (Hadbast number 62) and rectangle number 71, 68, 50, 47, 29 and 26 of village Sisoith (Hadbast number 61), upto point 'A' *i.e.* the point of start.

S. S. DHILLON,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Town and Country Planning Department.